पत्रांक – 03/PM-USHA-SNA SPARSH-01/2025........127/१७५८
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 15/09/2025

विषय :– **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की तृतीय बैठक में अवयव– Grants to Strengthen Universities के अंतर्गत स्वीकृत योजना बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत Auditorium Block के निर्माण कार्य हेतु रु0 24,97,96,200/– (चौबीस करोड़ संतानबे लाख छियानबे हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा Sustainable Development Goal से 2030 के लक्ष्य 4 (SDG 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी के लिए समवेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की अवधारणा की गई है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में Access, Equity एवं Quality सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के आगामी चरण को प्रधानमंत्री उंच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जून 2023 में प्रारम्भ किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने 22.08.2023 को एकरारनामा किया है।

4. इस योजना द्वारा विभिन्न अवयवों (Components) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा Project Approval Board (PAB) के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अवयव– Grants to Strengthen Universities के अंतर्गत विद्यामान राजकीय विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस क्रम में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत दिनांक 20.12.2024 को निर्गत Project Approval Board (PAB) की तृतीय बैठक की कार्यवाही में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के आधारभूत संरचना के विकास हेतु 20.00 करोड़ (बीस करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के के तहत बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के आधारभूत संरचना के विकास हेतु स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 1398(नि0) दिनांक 12.06.2025 के द्वारा Estimate No.- 717/T.A/H.E/JSBCCL/2025-26, Page- 307 dated 12.06.2025 से बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में Auditorium Block के निर्माण कार्य हेतु रु0 24,97,96,200/– (चौबीस करोड़ संतानबे लाख छियानबे हजार दो सौ रूपये) मात्र के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी। इस निमित वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत केन्द्रांश मद में रू0 50.00 करोड़ एवं राज्यांश मद में रू0 34.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 84.00 करोड़ का बजटीय उपबंध है।

8. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के द्वारा समर्पित DPR के अलोक में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में Auditorium Block के निर्माण कार्य हेतु रु0 24,97,96,200/– (चौबीस करोड़ संतानबे लाख छियानबे हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान निम्नवत् प्रदान किया जाता है:–

कमांक	मद	राशि
1	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	12,00,00,000/–
2	समानुपातिक राज्यांश (40 प्रतिशत)	8,00,00,000/–
3	अतिरिक्त राज्यांश	4,97,96,200/–
	कुल योग –	**24,97,96,200/–**

9. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के द्वारा किया जायेगा। साथ ही समय–समय पर योजना का गहण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय–सह–राज्य परियोजना निदेशालय, JSHEC के द्वारा भी किया जायेगा। उक्त योजना में स्वीकृत राशि का व्यय PM-USHA के मार्गदर्शिका एवं SoP (Standard Operating Procedure), भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार किया जायेगा। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में Auditorium Block के निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

10. निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय के द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में Auditorium Block के निर्माण कार्य हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा–

कमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2025–26	10,00,00,000/–	30 प्रतिशत
2	2026–27	14,97,96,200/–	70 प्रतिशत

11. उपर्युक्त स्वीकृत राशि में केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन SNA-SPARSH प्रणाली के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –

(क) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान

(ख) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान एवं

(ग) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान मद से किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046) एवं श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी हेतु विपत्र (Fully Vouched Claim Bill) तैयार करने के पूर्व अपने स्तर से PWD Code एवं GFR के सुसंगत नियमों के आलोक में संतुष्ट होने के पश्चात् ही विभाग को समर्पित करेंगे।

14. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा। Furniture एवं Equipments के Specification का निर्धारण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची द्वारा विश्वविद्यालय की सहमति से नियमानुसार किया जायेगा।

15. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

16. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

18. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक 08.08.2025 को सम्पन्न बैठक के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0– 77 / 2025 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा अनुशंसा प्रदान किया गया है ।

21. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

15/9/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 03/PM-USHA-SNA SPARSH-01/2025 127/2025 / रॉंची, दिनांक– 15/09/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 03/PM-USHA-SNA SPARSH-01/2025 127/2025 / रॉंची, दिनांक– 15/09/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा / कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रूसा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।